मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा -2021

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना

प्रश्नपत्र	पूर्णांक	अवधि
खण्ड "अ" - मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान	150	3 घंटे
खण्ड "ब" - विधि	300	
योग	450	
साक्षात्कार	50	
कुल अंक	**500**	

(ब) प्रश्नपत्र योजना

1. खण्ड (अ) विषय- मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान-10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, इस प्रकार खण्ड-अ में 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड-(ब) में विषय से संबंधित प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगें। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णाक 450 अंकों का होगा।
2. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प **(A,B,C,D)** होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा।
3. प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का खण्ड 'अ' के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। खण्ड 'ब' में संबंधित विषय के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 03 अंको का होगा।
4. प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे- भाग-(अ) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक एवं भाग-(ब) विषय से संबंधित 40 प्रतिशत अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खण्डों के अंकों को जोड़कर बनेगी। ऑनलाइन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन **(3R-W)=** प्राप्तांक पद्धति से होगा।

   {R= सही उत्तरों की संख्या, **W=** गलत उत्तरों की संख्या**}**

   अर्थात् प्रत्येक सही उत्तर के लिये 3 अंक प्रदाय किये जाएँगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
5. प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में होगा।

साक्षात्कार:- साक्षात्कार 50 अंको का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(स) चयन प्रक्रिया

1. चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन पद्धति से कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क 40 रुपये पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा । पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।

   प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी:-

   1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
   2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाए गए प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा -:

      क. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में सही उत्तर न हो ।

ख. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों या एक से अधिक विकल्पों में उत्तर की पुनरावृत्ति हो।

ग. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करता हो।

विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाईट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोकतानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

3. ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा।

4. परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक खण्ड 'अ' तथा खण्ड -'ब' में पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरान्त अर्ह पाए जाएंगे।

6. साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल/SMS द्वारा सूचना भेजी जाएगी। आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mpppsc.com** पर भी उपलब्ध रहेगा। ।

7. उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

8. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक